[Dr. P. Subbarayan.]

women and I hope they will stand by their pledge of equality of status and place the men in the same position as they want themselves placed.

And, also, Sir, Dr. Kane referred to the father being put in category two instead of category one along with the mother. I also feel that this is an injustice done to the mere man, as they would like to call him. I do feel that they should be reformed. I have stood for social reform for well nigh fortyfive years today. At the same time, I cannot stand for inequality which is being perpetrated by this Bill and I hope the hon. Minister in charge of this Bill will think of it. What is more, the Bill has got right out of shape and I do not think my learned friend, Mr. Biswas, recognizes the child that he produced and I think it was the right of some Members to point out that the Bill should have been circulated for eliciting public opinion, because if you make such drastic changes against the principles of the Bill which you have brought forward, I think it is only right that the public should have a right to say what they feel about the changes that have been brought about.

[MR. CHAIRMAN in the Chair.]

I hope, Sir, that the hon. Minister for Legal Affairs will consider these points and accept proper amendments necessary to make the equality of men and women a reality and not a shadow as it is in this Bill.

MR. CHAIRMAN: Mr. Amolakh Chand.

REPORT OF JOINT COMMITTEE OF THE HOUSES ON THE CITIZENSHIP BILL, 1955

SHRI AMOLAKH CHAND (Uttar Pradesh): Sir, I beg to lay on the Table a copy of the Report of the Joint Committee of the Houses on the Bill to provide for the acquisition and termination of Indian citizenship.

THE HINDU SUCCESSION BILL, 1954.—*continued*

श्री रामधारी सिंह दिनकर (बिहार) : श्रीमन्, जिस विधेयक पर हम लोग विचार कर रहे हैं वह बड़ा ही क्रान्तिकारी विधेयक हैं और मैं समझता हूं कि प्रत्येक सदस्य के मन में यह भाव होगा कि इस विधेयक पर हम गम्भीरता से विचार करें, विवेक से विचार करें । लेकिन, मैं एक चेतावनी और दूं, कि गम्भीरता कहीं इतनी बड़ी न हो जाय कि हम कायर हो जायं । इसलिए मेरा निवेदन हैं कि इस विधेयक पर विचार करते समय गम्भीरता से अधिक निर्भयता चाहिए, बुद्धि से अधिक उदारता चाहिए ।

मैं मानता हूं कि यह विधेयक भारतीय परम्परा में भयानक परिवर्तन उत्पन्न करने वाला हैं । लेकिन, यह परिवर्तन किसी व्यक्ति विशेष का लाया हुआ नहीं हैं, न किसी दल विशेष का लाया हुआ हैं, न सरकार ही कोशिश कर के इस परिवर्तन को रोक सकती हैं और न उन लोगों की कोशिशों से यह परिवर्तन रुकने वाला हैं जो झंडे निकाल निकाल कर देश में जलूस तैयार करते हैं और लोगों को यह समझाते हैं कि यह सरकार नास्तिक हैं, परम्परा और संस्कृति का खंडन करने वाली हैं । परिवर्तन इसलिए आ रहा हैं कि देश स्वाधीन हुआ हैं, परिवर्तन इसलिए आ रहा हैं कि देश में औद्योगिक क्रान्ति हो रही हैं, परिवर्तन इसलिए आ रहा हैं कि जिस परम्परा को हम अब तक निभाते आ रहे थे, वह टूटने जा रही हैं और उस परम्परा के टूट जाने पर पुराने नियम, पुरानी संस्कृति हमारे किसी काम आने वाले नहीं हैं । अगर कोई आदमी यह समझता हैं कि देश में राजनैतिक क्रान्ति तो हो, औद्योगिक क्रान्ति तो हो, समाजवाद की स्थापना तो हो, लेकिन समाज हमारा वही बना रहे जो आज से १५०० वर्ष पूर्व था या २००० वर्ष पूर्व था, तो वह भ्रम में हैं । यह चीज टूट जायगी । अगर हम लोग कायर हो कर बैठ गए और सामाजिक क्रान्ति की दिशा में कदम नहीं उठाते तो हम उस राजनैतिक परिवर्तन के बोझ के नीचे टूट